न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 — 18/2021(2021/00200)

अनवान : —

ईश्वर पुत्र राजमल जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

कृष्ण कुमार पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता
अन्तर्गत धारा धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री नवीन गोयल **प्रार्थी**
श्री कृष्ण कुमार **अप्रार्थी**

आदेश दिनांक : 15/7/21

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा के रोही मौजा ग्राम भिरानी के वर्तमान खाता संख्या 61/52 के मुरब्बा न0 154 के किला न0 22 की 0.253 है0, मुरब्बा न0 157 के किला न0 2 की 0.253 है0 इस प्रकार कुल किता 2 की कुल 0.506 हैक्टेयर बारानी प्रार्थी ईश्वर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 62/53 के मु0 न0 154 के किला न0 23 की 0.253 है0, मुरब्बा न0 157 के किला न0 3 की 0.253 है0 इस प्रकार कुल किता 2 की कुल 0.506 हैक्टेयर अप्रार्थी कृष्ण कुमार के नाम खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थी से उतर की ओर चिपते हुए अप्रार्थी कृष्ण कुमार के नाम रोही मौजा भिरानी के मुरब्बा न0 154 के किला न0 3 की 0.253 है0, किला न0 4 की 0.253 है0, किला न0 7 की 0.253 है0, किला न0 14 की 0.253 है0, किला न0 17 की 0.253 है0, किला न0 18 की 0.253 है0, किला न0 19 की 0.013 है0, मुरब्बा न0 433 के किला न0 6 की 0.253 है0 किला न0 7 की 0.253 है0 किला न0 11 की 0.253 है0, किला न0 12 की 0.253 है0, किला न0 13 की 0.253 है0, किला न0 14/1 की 0.127 है0, किला न0 15/1 की 0.127 है0, मुरब्बा न0 434 के किला न0 9 की 0.253 है0, किला न0 10 की 0.253 है0, किला न0 11/1 की 0.126 है0, किला न0 12/1 की 0.127 है0, किला न0 13 की 0.253 है0, किला न0 14 की 0.253 है0, किला न0 15 की 0.253 है0, किला न0 16/1 की 0.164 है0, किला न0 17/1 की 0.164 है0, किला न0 18/1 की 0.164 है0 इस प्रकार कुल किता 26 की कुल 5.566 हैक्टेयर अप्रार्थी कृष्ण कुमार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:13:30 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी कृष्ण कुमार की मुरब्बा ... भूमि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि से उत्तर की ओर पड़ती है।

प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि में पूर्व ... पश्चिम चलकर उत्तर ... कृष्ण कुमार के खेत में से होकर आवागमन करता है। प्रार्थी ईश्वर अप्रार्थी कृष्ण कुमार के

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 18/21 अनवान ईश्वर बनाम कृष्ण कुमार बाबत रास्ता

रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 61/52 के मुरब्बा नम्बर 154 के किला न0 4, 3, 8, 13, 18 में से होकर आवागमन करता है। जिसमें से किला न0 4 में उतर दिशा में, किला न0 3 में उत्तर व पश्चिम से होकर फिर किला न0 8, 13, 18 के पश्चिम दिशा से होकर अपने खेम में प्रवेश करता है। प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई चालू या स्वीकृत शुदा रास्ता नही है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी ने राजीनामा पेश किया जो तसदीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य वाहमी राजीनामा हो गया है।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 61/52 के मु0 न0 154 के किला न0 4 में उतर दिशा में एक बिस्वा, किला न0 3 में उत्तर दिशा एवं पश्चिम दिशा में एक–एक बिस्वा, किला न0 8, 13, 18 में पश्चिम दिशा में एक–एक बिस्वा चौड़ा रास्ता दर्ज किया जाकर उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड, हॉल जमाबन्दी एवं नक्शा में किया जावें। तहसीलदार भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/7/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:13:30 IST
Reason: SelfAttested